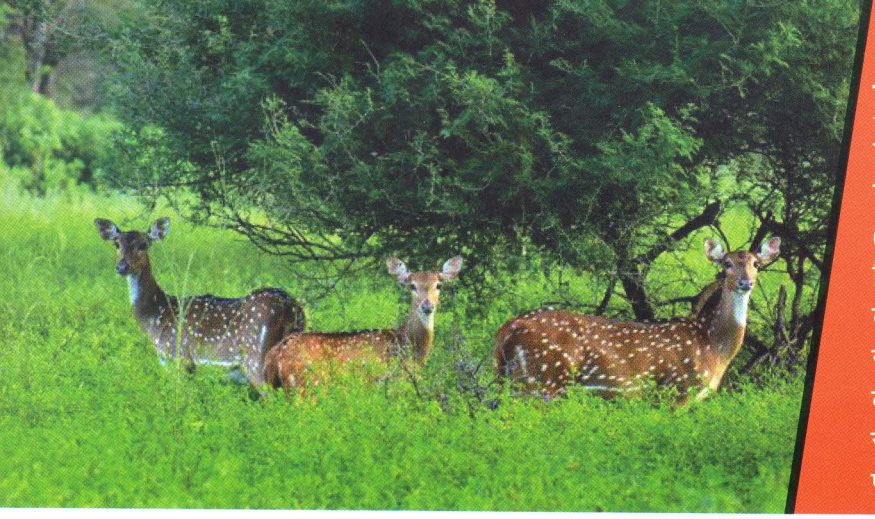

जैव विविधता क्या है?

जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है। "जैव" यानी जीवन, "विविधता" यानी, भिन्नता। जैव विविधता (Biodiversity) का शाब्दिक अर्थ है जीवित प्राणी जगत में विभिन्नता एवं अनेकता। पृथ्वी पर पाये जाने वाले जीवन के विभिन्न रूप अर्थात् समस्त वनस्पतियाँ, जीव जन्तु, सूक्ष्म जीव और सभी प्रकार की अनुवांशिक सामग्री जैसे बीज, बीजाणु, कंद इत्यादि जैव विविधता कहलाते हैं। सभी समूह आपस में आन्तरिक व पारस्परिक तौर पर तथा पारिस्थितिक तंत्र में भिन्नता रखते हैं।

जैव विविधता का महत्व

जैव विविधता हमारी रोजमर्रा के जीवन एवं आजीविका का अहम् संसाधन है जिस पर परिवार, समुदाय, राष्ट्र एवं भावी पीढ़ियां निर्भर करती हैं। जैव विविधता धरती पर एक ऐसा भण्डार है जहां से मनुष्य की खाद्य, वस्त्र, आश्रय, ईंधन, चारा, औषधि, आध्यात्मिक, मनोरंजन तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैव विविधता से आवश्यक पारिस्थितिकीय कार्य सुनिश्चित होते हैं जिन पर हमारा जीवन निर्भर करता है तथा इसमें स्वच्छ जल की निरंतर आपूर्ति, पोषक चक्र, मृदा अनुरक्षण भी शामिल है। प्रत्येक जैविक रूपी संसाधन जैव विविधता के अभिन्न अंग हैं तथा पर्यावरण में सभी जैविक घटकों का अपना योगदान है।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 एवं नियमावली, 2004 तथा झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमावली, 2007

भारत सरकार द्वारा जैव विविधता के संरक्षण, संवहनीय उपयोग एवं सतत् विकास तथा जैव संपदा से व्युत्पन्न लाभांशों के समुचित बंटवारा हेतु जैव विविधता अधिनियम, 2002 एवं नियमावली, 2004 अधिसूचित किया गया है जिससे देश के जैव संसाधनों का संचालन, उचित दोहन, सतत् विकास तथा संरक्षण किया जा सके। अधिनियम, 2002 की धारा–22 के अंतर्गत झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य में झारखण्ड जैव विविधता पर्षद् का गठन वर्ष 2007 में किया गया है तथा झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमावली, 2007 अधिसूचित है।

जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रमुख उद्देश्य

- देश की जैव संसाधनों की पहुंच को नियमित करना ताकि जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का बराबर हिस्सा तथा जैव संसाधनों से संबंधित समसामायिक ज्ञान भी प्राप्त हो सके।
- जैव विविधता का संरक्षण तथा सतत् (Sustainable) उपयोग करना।
- जैव विविधता से संबंधित स्थानीय समुदायों की जानकारी का आदर व सुरक्षा तथा संरक्षण करना।
- जैव विविधता के संदर्भ में स्थानीय लोगों को जैव संसाधनों के संरक्षण एवं तत्संबंधी ज्ञान तथा सूचना से होने वाले लाभों की बराबर हिस्सेदारी जैविक पणधारियों (Stakeholders) में सुनिश्चित करना।
- विनाश की ओर अग्रसर हो रही जैविक प्रजातियों का संरक्षण एवं पुनर्वास।
- जैव विविधता के विकास व संरक्षण हेतु जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को विरासत स्थल (Heritage site) घोषित करना।

जैव विविधता प्रबन्धन समिति का गठन

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा–41 एवं झारखण्ड जैविकीय विविधता नियमावली, 2007 के नियम–20 के अन्तर्गत जैव विविधता प्रबंधन समितियों (Biodiversity Management Committees) का गठन स्थानीय निकाय स्तर पर किया जाना है जिसकी संरचना निम्नवत् होगी :–

- प्रत्येक स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत/नगर निकाय) अपने अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) के भीतर जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करेगी।
- जैव विविधता प्रबंधन समिति एक अध्यक्ष और स्थानीय निकाय द्वारा नामांकित छः व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिसमें कम–से–कम दो महिलाओं एवं तीन व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य है।
- जैव विविधता प्रबंधन समिति का अध्यक्ष स्थानीय निकाय के अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली किसी अधिवेशन में समिति के सदस्यों में से निर्वाचित किया जाएगा। स्थानीय निकाय के अध्यक्ष को निर्णायक मत का अधिकार होगा।
- जैव विविधता प्रबंधन समिति में अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड जैव विविधता पर्षद्

- स्थानीय विधायक/संसद सदस्य समिति की बैठकों में विशेष रूप से आमंत्रित होंगे।

जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के गठन की आवश्यकता

- जैव विविधता को आज के आधुनिक दौर में बढ़ती जनसंख्या तथा विकास गतिविधियों के कारण खतरा उत्पन्न हो रहा है।
- आज मानव द्वारा जैविक संसाधनों का दोहन अवैज्ञानिक तौर तरीकों से लगातार किया जा रहा है। खासकर ऐसे जैविक संसाधन, जो ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी तथा जड़ी–बूटियों के रूप में मानव द्वारा उपयोग किया जा रहा है, पर दबाव बढ़ रहा है तथा इन प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो रहा है।
- जैविक संसाधनों से होने वाले लाभों के आबंटन का स्थानीय स्तर पर जैव विविधता पणधारियों (Stakeholders) के लिए समान अवसर का अभाव है।
- जैव विविधता तत्संबंधी पारंपरिक ज्ञान का विघटन हो रहा है।
- कृषि भूमि में रासायनिक उर्वरकों तथा कीट पतंगों, फफूंद व खरपतवार नाशक रासायनिक दवाओं का लगातार उपयोग कृषि भूमि की मृदा शक्ति को कम कर रहे हैं तथा इसमें सूक्ष्म जैव विविधता के अस्तित्व को भी खतरा उत्पन्न हो गया है।
- जैव विविधता से संबंधित उद्यमों को बढ़ावा देने, जिससे स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके का अभाव है।
- राज्य सरकार द्वारा शिकार पर प्रतिबंध के बावजूद भी जंगलों व वनों में अभी भी चोरी छिपे शिकार होता है जिससे बहुमूल्य जंगली जीवों के अस्तित्व को खतरा है।
- पारंपरिक खेती व पशु प्रबंधन का प्रचलन समाप्त हो रहा है।
- जलीय जैव विविधता को विकास गतिविधियों, बाहरी प्रजातियों तथा रासायनिक उपयोग के कारण खतरा उत्पन्न हो रहा है।

जैव विविधता प्रबंधन समितियों के कर्तव्य

- जैव विविधता प्रबंधन समिति का कर्तव्य स्थानीय स्तर पर अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत झारखण्ड जैव विविधता पर्षद् की सलाह व मार्गदर्शन से जैविक संसाधनों के संचालन, संरक्षण, सतत् उपयोग व जैविक संसाधनों से होने वाले लाभांशों का समुचित बंटवारा करना।
- संकटग्रस्त उपयोगी जैविक प्रजातियों के संरक्षण हेतु कार्य करना।
- झारखण्ड जैव विविधता पर्षद् व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के साथ जैविक संसाधनों के संचालन, प्रतिपालन व दोहन से संबंधी तालमेल रखना।

जैव विविधता प्रबंधन समितियों के कार्य

- जैव विविधता प्रबंधन समितियों का कार्य स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श द्वारा जन जैव विविधता पंजी तैयार करना है।
- पंजी में स्थानीय जैव संसाधनों, उनके औषधीय या अन्य उपयोग या उनसे संबंधित पारंपरिक ज्ञान के संबंध में व्यापक जानकारी का उल्लेख करना।
- स्थानीय वैद्यों, व्यवसायियों, उद्यमियों तथा औद्योगिक इकाईयों जो जैव संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, के बारे में जानकारी एकत्रित करना तथा स्थानीय जैव संसाधन उपलब्धता व इससे संबंधित ज्ञान के व्यापक आंकड़े रखना।
- झारखण्ड जैव विविधता पर्षद् या राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए विषयों में से किसी के संबंध में सलाह देना।
- जैव संपदा के पहुँच/संग्रहण एवं पारंपरिक ज्ञान, शुल्क संग्रहण की विवरणी, अन्य लाभों से संबंधित विवरण एवं सह–भाजन की प्रणाली से संबंधित विवरण की जानकारी दर्शाते हुए रजिस्टर/पंजी का संधारण।
- जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा जैव विविधता दस्तावेज रखे जाएंगे और विधिमान्य किये जायेंगे।

United Nations Decade on Biodiversity

विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें:
सदस्य सचिव
झारखण्ड जैव विविधता पर्षद्
वन भवन परिसर, डोरण्डा, राँची– 834002
फोन – 0651-2482013
ई–मेलः jbbranchi@gmail.com
वेबसाईटः www.jbbjharkhand.org